न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 45/2013

अनवान :

1. कासम पुत्र यासीन खॉ कौम कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. इकबाल खॉ पुत्र श्री सफी मोहम्मद जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

—वादीगण

बनाम

1. फूल मोहम्मद
2. गुलाम रसूल
3. यासीन खॉ

} पिसरान मेहरदीन जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

4. जन्नत बानो बेवा ताज मोहम्मद
5. मोहम्मद वजीरदीन पुत्र ताज मोहम्मद
6. बिस्मला पुत्री ताज मोहम्मद पत्नी प्यारू मोहम्मद लुहार मौहल्ला चुरू
7. अब्दुल चिरागदीन
8. मोहम्मद शौकिन

} पिसरान गनी खॉ जाति लूहार निवासीगण वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा

9. अब्दुल रहमान
10. मुन्शी खॉ
11. जाकाऊदीन
12. महबूब खॉ

} पिसरान नसीरदीन जाति लुहार निवासीगण वार्ड नं0 19 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

13. हाजरी पुत्री नसीरदीन पत्नी सतार खॉ निवासी लूहार मौहल्ला राजगढ़ जिला चुरू
14. सदीकन बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी जबार खॉ निवासी लूहार मौहल्ला राजगढ जिला चुरू
15. सईदा बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी मैनुदीन निवासी लूहार मौहल्ला तारानगर जिला चुरू
16. लीना बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी जाफर खॉ निवासी लूहार मौहल्ला तारानगर जिला चुरू
17. सनाबदी बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी यासीन खॉ निवासी लूहार मौहल्ला तारानगर जिला चुरू
18. मदीना बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी मनीर खॉ अनूपशहर त0 भादरा
19. लुकबन बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी ताज मोहम्मद निवासी अनूपशहर तहसील भादरा
20. मकबूल
21. जाकिर
22. लियाकत

} पिसरान बन्ना खॉ पुत्र बाबू खॉ जाति(लखारा) मूसलमान सीसगर निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा

23. बख्तावरी बेवा अनीज खॉ जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा
24. मलक मोहम्मद

} पिसरान अजीज खॉ जाति कुम्हार मुसलमान

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

25. सुलतान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा
26. बशीर खॉ पुत्र जीवण खॉ जाति लूहार निवासी वार्ड नं0 19 भादरा
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

—प्रतिवादीगण

28. सरीफ } पिसरान यासीन खॉ जाति कुम्हार/मुसलमान
29. मुन्शी } निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा
30. गुलाब मोहम्मद } पिसरान फूल मोहम्मद
31. फैज मोहम्मद } जाति कुम्हार
32. हनीफ खॉ } निवासीगण वार्ड नं0 19 भादरा
33. रजाक खॉ } तहसील भादरा
34. खुशी मोहम्मद } पिसरान सदीक जाति कुम्हार मुसलमान
35. नेक मोहम्मद } निवासीगण वार्ड नं0 19 भादरा
36. खान मोहम्मद } तहसील भादरा
37. श्योकत } पिसरान सलामू पुत्र सदीक जाति कुम्हार/मुसलमान
38. शमशेर } निवासीगण वार्ड नं0 22 भादरा। **—तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील प्रेमप्रकाश झोरड़: **वादीगण**

वकील श्री विक्रम शर्मा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 18.12.18

वादी के दावा के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि वादी के दादा भादर के कब्जा काश्त की खाता सं0 128 के खसरा नं0 593 की 15—08 बीघा, खसरा नं0 598 की 14—16 बीघा, खसरा नं0 599 की 34—03 बीघा,, खसरा नं0 599 की 8—17 बीघा, खसरा नं0 604 की 9 बीघा इस प्रकार कुल 82—04 बीघा खाम भूमि हुआ करती थी। जिसकी पक्की 49 बीघा बनी जो काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर वादी के दादा के कब्जा काश्त मे थी जिन्होने दिनांक 01.01.56 को उक्त भूमि को आवंटन हेतु आवेदन किया और मुताबिक कब्जा काश्त चक 10 बारानी के पत्थर नं0 477/472, मु0 नं0 12 के किला नं0 25 की 1 बीघा, पत्थर नं0 47/472, मु0 नं0 13 के किला नं0 21 ता 24 की 4 बीघा, पत्थर नं0 477/473, मु0 नं0 19 के किला नं0 4 ता 23 की 20 बीघा, पत्थर नं0 477/474, मु0 नं0 42 के किला नं0 1 ता 3 की 3 बीघा, पत्थर नं0 478/473, मु0 नं0 18 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 12 की 10 बीघा, पत्थर नं0 475/473, मु0 नं0 21 के किला नं0 15—16 की 2 बीघा, पत्थर नं0 476/473, मु0 नं0 20 के किला नं0 11—12, 19—20 की 4 बीघा कुल बीघा का रकबा 50 रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से स्वीकृत फरमाया गया। शेष 4 बीघा खारिज करने का नोटिस वादी के दादा के नाम जारी किया गया। पर्चा खतौनी कोलोनाईजेशन विभाग में भी चक 10 बारानी के मु0 नं0 12 के किला नं0 25 की 1 बीघा, मु0 नं0 13 के किला नं0 21

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

ता 24 की 4 बीघा, मु0 नं0 18 के किला नं0 1 ता 4, 7 ता 11, मु0 नं0 19 के किला नं0 5 ता 23, मु0 नं0 20 के किला नं0 6–11–12–15–19–20, मु0 नं0 21 किला नं0 6–15–16, मु0 नं0 42 के किला नं0 1 ता 3 इस प्रकार कुल 45 अनकमाण्ड दर्ज है। उक्त भूमि में से मु0 नं0 12 के किला नं0 25, मु0 नं0 13 के किला नं0 21 ता 24, मु0 नं0 18 के किला नं0 12–13, मु0 नं0 19 के किला नं0 9 ता 12, 24–25, मु0 नं0 20 के किला नं0 15–16 की भूमि वादीगण के दादा भादर की अलॉटशुदा भूमि थी जो प्रतिवादीगण ने भू–प्रबंधक अधिकारियो से साज कर धोखाधडी पूर्वक वादीगण को बिना सुने वादीगण की भूमि हडप करने की नियत से अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि उक्त भूमि कभी भी प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त मे नही रही ना ही उनका कोई हक वा अधिकार या कोई सम्बंध रहा है। उक्त भूमि गलत तरीके से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने का फायदा उठाने की गर्ज से ये लोग वादीगण को जबरदस्ती ताकत के बल पर बेदखल करने व भूमि को रहन बैय करने की धमकी दे रहे है। अतः वादीगण की हको की घोषणा की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण पाबन्द करवाने के मजाज है तथा उक्त भूमि तादादी 3.795 हेक्टर वादी नं0 1 वा तरतीबी प्रतिवादी नं0 28–29 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, वादी नं0 2 का 1/4 हिस्सा, तरतीबी प्रतिवादी सं0 30 ता 33 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी सं0 34 से 38 संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनुसार दर्ज की जावे व प्रतिवादी नं0 1 ता 26 के खातो में से उक्त भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी किये जाने पर प्रतिवादी सं0 1 ता 5, 20, 24 ता 26 ने संयुक्त रूप से जवाब दावा पेश कर कथन किया कि वादी सं0 2 इकबाल ने अपने को सफी मोहम्मद का अकेला वारिस होना गलत दर्ज किया है। सफी मोहम्मद के एक लडका मोहम्मद अली था जिसका देहान्त हो चुका है। उसकी पत्नी उसके दो लडके व तीन लडकिया मोजूद है। जिन्हे पक्षकार दर्ज नही किया है। वादीगण ने पुरानी 82–04 बीघा खाम के 49 बीघा पक्के बनने बताये है जिसकी कोई तब्दिली तालिका प्रस्तुत नही की है। दावा की 3.795 हैक्टर से वादीगण का कोई सम्बध नही है। उक्त भूमि समरूदी, नूरदीन पिसरान रहमू लूहार की खसरा नं0 592 की 45–11 बीघा खाम भूमि का भाग है। रहमू के पुत्र नूरदीन के लाऔलाद फौत होने पर उसके भाई समरूदीन के नाम रिकार्ड मे दर्ज हो गई। जो उसकी मृत्यू के बाद गन्नी, नसीर, ताजमोहम्मद के नाम खातेदारी दर्ज हो गई व भूमि एकीकरण के बाद चक 10 बारानी व 9 बारानी की 27 किला मे पैमूद हुई जिसमें से प्रतिवादी सं0 1 से 3 ने समरूदीन से 14 बीघा भूमि 10 बारानी की जरिये किमतन बैयनामा से खरीद कर ली। जो मु0 नं0 13 के किला नं0 21 से 23 की भूमि में शामिल है तथा वाद भूमि मे से मु0 नं0 18 का किला नं0 12 बन्ने खॉ की अन्य भूमि के साथ नौतोड की हुई

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

थी। जो लगातार उसके कब्जा काश्त मे चली आ रही थी। दिनांक 16.08.88 को उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा पुख्ता आवंटन की गई। इसी प्रकार मु0 नं0 19 के किला नं0 9 ता 12 की 4 बीघा प्रतिवादी सं0 24–25 के पिता अजीज खॉ को आंवटित हुई थी। जो काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय उसके कब्जा काश्त मे थी। चक 10 बारानी के मु0 नं0 19 के किला नं0 24–25 की 2 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 26 बशीर खॉ की मामदीन पुत्र किमू कुम्हार से किमतन जरिये बैयनाम क्रय की हुई थी। जो मामदीन को आवंटित थी। इस प्रकार वाद भूमि पर कभी भी वादीगण का कब्जा काश्त नही रहा और ना ही उक्त भूमि भादर को आवटित हुई। वाद भूमि से भादर या उसके वारिसान का कोई सम्बधं नही है। उक्त भूमि लगातार उतरदाता प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त मे चली आ रही है। जिससे वादीगण का कोई सम्बंध नही है।

उभय पक्षकारान के लिखित कथन व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1- आया वादीगण के दादा भादर के कब्जा काश्त की खाता सं0 128 के खसरा नं0 593 की 15.18 बीघा, खसरा नं0 598 की 14.16 बीघा, खसरा नं0 599 की 34.03 बीघा, खसरा नं0 599 की 8.17 बीघा, खसरा नं0 609 की 9 बीघा कुल 82.04 बीघा खाम भूमि थी? — वादीगण

2- आया भादर की खाम भूमि वाद पत्र की मद सं0 4 के मुताबिक चक 10 बारानी में कुल 45 बीघा में पैमूद हुई? —वादीगण

3- आया आया चक 10 बारानी के मु0 नं0 18 के किला नं0 13 की 1 बीघा, मु0 नं0 19 के किला नं0 24, 25 की 2 बीघा, मु0 नं0 20 के किला नं0 15, 16 की 2 बीघा रकबा मिलाकर कुल रकबा 48 बीघा वादीगण के दादा का बना? —वादीगण

4- आया भू–प्रबंधक अधिकारियों से साज बाज कर प्रतिवादीगण को बिना सुने मु0 नं0 12 के किला नं0 25 की 1 बीघा, प्रतिवादी सं0 1 से 19 ने मु0 नं0 13 के किला नं0 24 की 1 बीघा, प्रतिवादी सं0 3 ने किला नं0 21 से 23 की 3 बीघा, प्रतिवादी सं0 1 से 19 ने मु0 नं0 18 के किला नं0 12, 13 की 2 बीघा, प्रतिवादी सं0 20 से 22 के पिता बन्ने खॉ ने मु0 नं0 19 के किला नं0 9 ता 12 की 4 बीघा, प्रतिवादी सं0 23 ता 25 ने मु0 नं0 19 के किला नं0 24, 25 की 2 बीघा, मु0 नं0 20 किला नं0 15–16 प्रतिवादी सं0 23 से 25 ने अपने नाम गलत दर्ज करवा ली। जिसकी बाबत वादीगण घोषणा कराने के मजाज है कि उक्त भूमि में वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 28, 29 का 1/4 भाग, वादी सं0 2 का 1/4 भाग, प्रतिवादी सं0 30 से 33 का 1/4 भाग, प्रतिवादी सं0 34 से 38 का 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार है? —वादीगण

5- अनुतोष

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनु.)

साक्ष्य वादी में पीडब्लयू 1 इकबाल खॉ के बयान करवाये गये दस्तावेज साक्ष्य में इस गवाह ने सत्यप्रति इंतकाल चक 10 बारानी नम्बर 43/75 Exp1, खसरा गिरदावारी चक 10 बारानी सम्वत 2018 से 21 जो चार पृष्ठ में है Exp2, व सम्वत 2032 से 35 जो तीन पृष्ठ में है Exp3, सम्वत् 2017 से 20 मु0 नं0 20 जो प्रदर्श Exp4 है सम्वत् 2017 सें 20 मु0 नं0 13 Exp5 है सम्वत् 2032 से 35 Exp6 है खतौन दरमियानी खाता सं0 128 Exp7 जो दो पृष्ठ है नकल प्राप्त करने के आवेदन की प्रमाणित प्रति दिनांक 23.12.09 Exp8 व दिनांक 23.06.09 Exp9 है सैल रजिस्टर Exp10 है, प्रमाणित प्रति चार साला सम्वत 2000 Exp11, व चार साला वर्ष 2004 Exp12 व चार साला सम्वत 2000 खाता सं0 155, 156, 157 Exp13 है, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2017 से 20 मु0 नं0 20 Exp14 प्रदर्शित करवाई। वादी द्वारा और साक्ष्य पेश ना करना जाहिर करने पर साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी हेतु मुकर्र की गई । साक्ष्य प्रतिवादी में डीडब्ल्यू 1 गुलाम रसूल, डीडब्ल्यू 2 सुलतान, डीडब्ल्यू 3 अब्दूल रजाक के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य मे डीडब्ल्यू 1 ने सत्यप्रति खसरा भू–प्रबंधक विभाग सम्वत् 2019 EXD1, अलॉटमेन्ट आदेश यासीन खॉ दिनांक 15.07.87 EXD2 व बन्ने खॉ दिनांक 16.08.88 EXD3 जिसके सलग्न नक्शा EXD4, अलॉटमेन्ट विवरण मामदीन EXD5 व असल बैयनामा समरूदीन EXD6, जिसकी चित्रप्रति EXD6ए, सैल रजिस्टर भादर पुत्र मूसलम EXD7 सनद भादर EXD8, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018 से 20 EXD9, खसरा भू–प्रबंधक विभाग जो 6 पेज मे है EXD10, जमाबंदी भू–प्रबंधक विभाग सम्वत् 2029 से 38 खाता सं0 39 EXD11, सत्य प्रति पर्चा भू–प्रबंधक विभाग EXD12 प्रदर्शित करवाई गई। प्रतिवादी द्वारा और साक्ष्य पेश ना जाहिर करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस अंतिम हेतु मुकरर्र की गई।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसमें उन्होने प्रतिवादीगण से की गई जिरह को ही दो पेज में दर्ज किया है तथा निवेदन किया की वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस 2014(2)आर आर टी पेज 1374, 2012(2)आर आर टी पेज 1079, 2017(2)आर आर टी पेज 1102 की नजीरे पेश की।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजो का अध्ययन किया। प्रस्तुत नजीरो का सादर अवलोकन किया। तनकी अनुसार निर्णय इस प्रकार है:–

तनकी नं0 1–2 :– उक्त दोनो तनकीयात वादीगण को ही साबित करनी थी तथा दोनो तनकीयात एक दूसरे से सम्बधित है इस कारण दोनो तनकीयात का निर्णय एक साथ ही किया जाना विधि सम्मत होने के कारण एक साथ किया जा रहा है। वादीगण का कथन है कि वादीगण के पुराने खसरा नं0 593 की 15–18 बीघा, 598 की 14–16 बीघा, 593 की 34–03 बीघा, 599 की 8–17 बीघा व 609 की 9 बीघा कुल 82–04 बीघा खाम भूमि

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

होती थी जो दावा की मद सं0 4 के मुताबिक 10 बारानी मे 45 बीघा मे पैमूद हुई। पुरानी खाम भूमि के सम्बंध में वादीगण की तरफ से खतौनी दरमियानी प्रस्तुत की गई जिनमें उक्त खसरा सं0 604 के अलावा भूमि 73–04 बीघा वादीगण के पूर्वज भादर वल्द मुसलम के नाम खाना सं0 6 में दर्ज है। लेकिन इसी खाना नं0 6 मे नीचे खसरा नं0 604 मिन की 9 बीघा खाम भूमि बख्तावर लुहार के नाम से दर्ज है। उक्त बख्तावर लुहार की 9 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज भादर को किस प्रकार प्राप्त हुई इस सम्बंध में उनके द्वारा कोई कथन नही किया गया है क्योकि खाना नं0 6 प्रदर्श 7 मे काश्तकार का है ऐसे में जो अधिकार उक्त दस्तावेज से भादर के नाम दर्ज भूमि मे भादर को प्राप्त हुये वैसे ही अधिकार खसरा नं0 604 के मामले में बख्तावर लुहार को प्राप्त हुये है। इस प्रकार खसरा नं0 604 की 9 बीघा खाम भूमि भादर की होना साबित नही होता है अब दुसरी तनकी के सम्बंध में प्रश्न यह उठता है कि उक्त पुराने खसरो की भूमि ही चक 10 बारानी के 45 बीघा मे पैमूद हुई ऐसी कोई तब्दिली तालिका वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य तब्दीली तालिका के अभाव में यह नही माना जा सकता की उक्त पुराने खसरो की भूमि ही मद सं0 4 में वादीगण के बताये अनुसार पैमूद हुई हो ना ही वादीगण ने अपने दावा मे यह कही स्पष्ट कथन किया है कि किस खसरा की भूमि किस मुरब्बा के किन–किन किलो मे पैमूद हुई ऐसा कंही भी स्पष्ट नही किया गया है कि उपरोक्त विवेचन से भादर के पास 73–04 बीघा खाम भूमि होना साबित है लेकिन खसरा नं0 604 की 9 बीघा व कुल 82–04 बीघा मद सं0 4 के अनुसार मुरब्बा किलो में पैमूद होना साबित नही है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार तनकी नं0 1 वादीगण आंशिक साबित करने में सफल रहा है तथा तनकी नं0 2 वादीगण साबित करने मे असफल रहा है।

तनकी नं0 3–4 :– उक्त दोनो तनकीयात भी एक दूसरे से जुडी हुई है तथा दोनो तनकीयात भी वादीगण को ही साबित करनी थी। वादीगण का मुख्य वाद मु0 नं0 12 के किला नं0 25 की 1 बीघा, मु0 नं0 13 के किला नं0 21 से 24 की 4 बीघा, मु0 नं0 18 के किला नं0 12–13 की 2 बीघा, मु0 नं0 19 के किला नं0 9 ता 12, 24–25 की 6 बीघा, मु0 नं0 20 के किला नं0 15–16 की 2 बीघा इस प्रकार कुल 15 बीघा का विवाद है जिसके बारे मे वादीगण का कथन है कि उक्त भूमि उनके खेत का भाग है जो उनके दादा भादर के पुराने खसरो से पैमूद होकर आई है तथा पुराने कब्जे के आधार पर भादर को आवंटन होना दर्ज है। लेकिन प्रतिवादीगण ने भू–प्रबंधक अधिकारियों से साज बाज करके खिलाफ कानून नाजायज तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि कब्जा उक्त भूमि पर अभी भी वादीगण का है। इस सम्बंध में प्रदर्श 10 सैल रजिस्टर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो EXD7 है का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें विक्रीत भूमि का जो विवरण दर्ज किया गया है उसमे उक्त 15 बीघा भूमि वादीगण के सैल रजिस्टर मे दर्ज है तथा यही वादीगण के दावा का आधार

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

बताया गया है तथा आंवटन शुदा भूमि का योग 45 बीघा अन्य भूमि को शामिल करते हुये दर्ज किया गया है परन्तु उसी सैल रजिस्टर के आगे के खानो जिसमे रकम जमा करने का खाना है उसमे नीचे भू–प्रबधंक विभाग के पर्चा लगान के अनुसार निम्नाकिंत किता कब्जा मे होकर दर्शाते हुये नीचे भूमि का विवरण दर्ज किया गया है जो मु0 नं0 12 के किला नं0 22 ता 24, मु0 नं0 18 के किला नं0 1 ता 11, 18 ता 20, मु0 न0 19 के किला नं0 2 ता 8, 13 ता 23, मु0 नं0 21 के किला नं0 13 ता 18, मु0 नं0 42 के किला नं0 1 ता 3, मु0 नं0 20 के किला नं0 20 इस प्रकार कुल किता 45 दर्शाया गया है जिसमें दावाधीन उक्त 15 बीघा जमीन शामिल नही है, यही नही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के दादा भादर पुत्र मुसलम की सनद की प्रमाणित प्रति EXD8 प्रस्तुत की गई है उसमें उसे 44.02 बीघा की सनद जारी की गई है जो भू–प्रबंधक विभाग के पर्चा व कब्जा के अनुसार जो भूमि सैल रजिस्टर में दर्ज है उसी की जारी की गई है, उक्त सनद मे दावाधीन 15 बीघा भूमि दर्ज नही है। जब वादीगण स्वंय 82–04 बीघा खाम 49 बीघा मे पैमूद होना व अलॉटमेन्ट के समय 4 बीघा रकबा खारिज होना तथा 45 बीघा आंवटन होना कथन करते हुये दावा लेकर आये है ऐसे मे जब 45 बीघा की सनद भादर को जारी हो चुकी है तो दावाधीन खातेदारी 15 बीघा को वादीगण किस आधार पर अपनी होना कथन कर रहे है यह कंही भी साबित नही होता है क्योकि दावाधीन रकबा 15 बीघा वादीगण को मिलने से उनकी कुल 60 बीघा खातेदारी होती है जबकि स्वंय 45 बीघा आंवटन होना मानते है तथा सनद मे वर्णित 45 बीघा भूमि मे से 15 बीघा भूमि वादीगण की ना हो ऐसा उनका दावा नही है। दूसरी तरफ उक्त दावाधीन 15 बीघा खातेदारी मे से मु0 नं0 12 के किला नं0 25 की 1 बीघा, मु0 नं0 13 के किला नं0 21 ता 23 की 3 बीघा कुल 4 बीघा भूमि प्रतिवादीगण 1 ता 3 समरूदीन पुत्र रहमू से अन्य खातेदारी के साथ जरिये विक्रय पत्र दिनांक 01.10.83 को क्रय की है तथा विक्रय पत्र की प्रति EXD6ए पत्रावली पर उपलब्ध है तथा उक्त विक्रय पत्र में अन्य भूमि के साथ शामिल है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का खातेदार सन् 1983 मे समरूदीन उक्त विक्रय पत्र को वादीगण ने आज तक कोई चूनौति नही दी है ऐसे मे घोषणा के मौजूदा दावा के जरिये उक्त विक्रय पत्र बिना चुनौति के दरकिनार नही किया जा सकता है। इसी प्रकार मु0 नं0 18 के किला नं0 12–13 की 2 बीघा बन्ने खॉ पुत्र बांके खॉ को अलॉट होनी बताई है जिसकी बाबत प्रतिवादी के द्वारा उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) नोहर के अलॉटमेन्ट आदेश दिनांक 11.08.88 की प्रमाणित प्रति EXD3 पेश की है जिसमें अन्य भूमि के साथ मु0 नं0 18 के किला नं0 12–13 की 2 बीघा भूमि बन्ने खॉ को अलॉट शुदा है उक्त आंवटन के सम्बंध में अधिवक्ता वादीगण द्वारा डीडब्ल्यू 1 गुलाम रसूल से जिरह भी की गई है जिसमें इस गवाह ने बताया है कि उक्त आंवटन की अपील वादी ने ए डी एम श्रीगंगानगर मे की थी जो सन् 1992 मे खारिज हो गई जिसको आर ए ए हनुमानगढ मे चुनौति दी जो

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

दिनांक 16.12.97 को खारिज हो गई गवाह उक्त कथन मिथ्या कर रहा हो ऐसा कोई आक्षेप वादीगण ने नही लगाया है इस कारण उक्त 2 बीघा बाबत आंवटन आदेश को वादीगण मौजूदा दावा के जरिये रद्द नही करवा सकता। इसी प्रकार दावाधीन मु0 नं0 13 का किला नं0 24 यासीन पुत्र मेहरदीन प्रतिवादी सं0 3 को आंवटन शुदा है तथा आंवटन आदेश दिनांक 15.07.87 उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश की प्रमाणित प्रति EXD2 पत्रावली मे उपलब्ध है। दावाधीन खातेदारी मे से मु0 नं0 19 के किला नं0 9 ता 12 वा मु0 नं0 20 किला नं0 15–16 अजीज पुत्र सोहना की आंवटन शुदा भूमि प्रतिवादीगण ने उसको अन्य भूमि के साथ आंवटन होनी बताई है हांलाकि प्रतिवादीगण द्वारा अजीज खॉ के आंवटन आदेश की प्रति प्रस्तुत नही की गई है लेकिन इस सम्बंध में उनके द्वारा खसरा भू–प्रबधक विभाग स0 2019 जो 6 पेज में EXD10 पेश किया गया है जिसमे दावाधीन मु0 नं0 19 किला नं0 9 ता 12, मु0 नं0 20 किला नं0 15–16 की भूमि अजीज वल्द सोहना के नाम दर्ज है इसके अलावा पर्चा लगान EXD12 प्रस्तुत किया गया है जो सं0 2023 से 2032 तक की 10 वर्षो की अवधि का है जिसमें भी उक्त 6 बीघा भूमि अजीज वल्द सोहना के नाम दर्ज है वा जमाबंदी सं0 2029 से 38 EXD11 मे भी अजीज वल्द सोहना के नाम दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि अजीज वल्द सोहना की आंवटन खातेदारी है प्रतिवादीगण ने दावाधीन मु0 नं0 19 किला नं. 24, 25 की 2 बीघा भूमि बशीर वल्द जीवण द्वारा मामदीन पुत्र किमू लुहार से किमतन जरिये विक्रय पत्र खरीद करनी बताई है हांलाकि उक्त विक्रय पत्र की असल या चित्रप्रति पत्रावली पर उपलब्ध नही है लेकिन डीडब्ल्यू 3 अब्दूल रजाक से जब जिरह की गई है तो उसने बताया है कि वह असल विक्रय पत्र आज साथ लाया है। यदि इस सम्बंध में वादीगण चाहता तो वह उक्त विक्रय पत्र को न्यायालय की मार्फत पत्रावली में प्रस्तुत करवा सकता था लेकिन उसके द्वारा ऐसा नही किया गया इसके अलावा उन्ही 2 किला की बाबत प्रतिवादीगण द्वारा EXD5 अलॉटमेन्ट विवरण की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जिसमे आवंटी का नाम मामदीन वल्द किमू लूहार दर्ज है तथा उसे मु0 नं0 19 के किला नं0 24'25, मु0 नं0 20 के किला नं0 4–5 कुल 4 बीघा आंवटन होने वाले रकबे का विवरण दर्ज है व खाना नं0 6 में सनद में 19140 दिनांक 08.05.76 दर्ज है व आगे खाना नं0 7 मे क्रेता का नाम बशीर खॉ वल्द जीवण लूहार व बैयनामा तारीख 28.01.77 दर्ज है जिससे साबित होता है कि मु0 नं0 19 के किला नं0 24–25 की दावाधीन 2 बीघा भूमि अन्य भूमि के साथ मामदीन को आंवटन थी जो उसने जरिये विक्रय पत्र बशीर खॉ प्रतिवादी सं0 26 को विक्रय की है उक्त अलॉटमेन्ट आदेश या बशीर खॉ के पक्ष में हुये विक्रय पत्र को वादीगण ने कोई चुनौति नही दी है। जहां तक कब्जा काश्त का प्रश्न है इस सम्बंध में वादीगण द्वारा सं0 2018 से 20 की खसरा गिरदावरी पेश की है लेकिन उनमें भी कुल वाद भूमि 15 बीघा वादीगण के काश्त मे नही है बल्कि प्रतिवादी के भी कब्जा काश्त में दर्शाई हुई है

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनु.)

वादीगण का उक्त दावाधीन भूमि पर लगातार कब्जा रहा हो ऐसी अवधारणा महज कुछ वर्षो की खसरा गिरदावरी से नही की जा सकती तथा ना ही खसरा गिरदावरी अधिकार अभिलेख है इस सम्बंध मे अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजीरो मे भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि खसरा गिरदावरी से अधिकार सर्जित नही हो सकते है जबकि प्रतिवादीगण द्वारा दावाधीन वादभूमि के प्रत्येक किला के बारे मे स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है जिसका वादी द्वारा खण्डन नही किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण उक्त तनकीयात को साबित करने में असफल रहा है

अतः उक्त तनकीयात का निर्णय वादीगण के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष मे किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का चक 10 बारानी के मु0 नं0 12 के किला नं0 25 की 1 बीघा, मु0 नं0 13 के किला नं0 21 से 24 की 4 बीघा, मु0 नं0 18 के किला नं0 12–13 की 2 बीघा, मु0 नं0 19 के किला नं0 9 ता 12, 24–25 की 6 बीघा, मु0 नं0 20 के किला नं0 15–16 की 2 बीघा कुल 15 बीघा की बाबत वाद वादी साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 45/2013

अनवान :

1. कासम पुत्र यासीन खॉ कौम कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 22 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़
2. इकबाल खॉ पुत्र श्री सफी मोहम्मद जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

—वादीगण

बनाम

1. फूल मोहम्मद
2. गुलाम रसूल
3. यासीन खॉ

पिसरान मेहरदीन जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

4. जन्नत बानो बेवा ताज मोहम्मद
5. मोहम्मद वजीरदीन पुत्र ताज मोहम्मद
6. बिस्मला पुत्री ताज मोहम्मद पत्नी प्यारू मोहम्मद लुहार मौहल्ला चुरू
7. अब्दुल चिरागदीन
8. मोहम्मद शौकिन

पिसरान गनी खॉ जाति लूहार निवासीगण वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा

9. अब्दुल रहमान
10. मुन्शी खॉ
11. जाकाऊदीन
12. महबूब खॉ

पिसरान नसीरदीन जाति लुहार निवासीगण वार्ड नं0 19 तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़

13. हाजरी पुत्री नसीरदीन पत्नी सतार खॉ निवासी लूहार मौहल्ला राजगढ़ जिला चुरू
14. सदीकन बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी जबार खॉ निवासी लूहार मौहल्ला राजगढ जिला चुरू
15. सईदा बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी मैनुदीन निवासी लूहार मौहल्ला तारानगर जिला चुरू

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

16. लीना बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी जाफर खॉ निवासी लूहार मौहल्ला तारानगर जिला चुरू
17. सनाबदी बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी यासीन खॉ निवासी लूहार मौहल्ला तारानगर जिला चुरू
18. मदीना बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी मनीर खॉ अनूपशहर त0 भादरा
19. लुकबन बानो पुत्री नसीरदीन पत्नी ताज मोहम्मद निवासी अनूपशहर तहसील भादरा

20. मकबूल 21. जाकिर 22. लियाकत	पिसरान बन्ना खॉ पुत्र बाबू खॉ जाति(लखारा) मूसलमान सीसगर निवासी वार्ड नं0 17 भादरा तहसील भादरा

23. बख्तावरी बेवा अनींज खॉ जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा

24. मलक मोहम्मद 25. सुलतान	पिसरान अजीज खॉ जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा

26. बशीर खॉ पुत्र जीवण खॉ जाति लूहार निवासी वार्ड नं0 19 भादरा
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा ।

–प्रतिवादीगण

28. सरीफ 29. मुन्शी	पिसरान यासीन खॉ जाति कुम्हार/मुसलमान निवासी वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा
30. गुलाब मोहम्मद 31. फैज मोहम्मद 32. हनीफ खॉ 33. रजाक खॉ	पिसरान फूल मोहम्मद जाति कुम्हार निवासीगण वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा
34. खुशी मोहम्मद 35. नेक मोहम्मद 36. खान मोहम्मद	पिसरान सदीक जाति कुम्हार मुसलमान निवासीगण वार्ड नं0 19 भादरा तहसील भादरा
37. श्योकत 38. शमशेर	पिसरान सलामू पुत्र सदीक जाति कुम्हार/मुसलमान निवासीगण वार्ड नं0 22 भादरा। **–तरतीबी प्रतिवादीगण**

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादराके समक्ष के समक्ष वकील वादीगण श्री प्रेम प्रकाश झोरड़ एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विक्रम शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु पेश होने पर वाद वादीगण साबित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.12.18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायाल की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) भादरा (हनु.)